UPSR040031872020

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (शीतला प्रसाद) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**06036

वारण्ट सम्मन्स क्रिमिनल केस/2638/2020

राज्य बनाम. अरूण कुमार गुप्ता आदि

दिनांक 22.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण अरुण कुमार गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, अय्याश उर्फ इलियास तथा अशर्फीलाल के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 13-07-2022 धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता वास्ते अभियुक्तगण को उन्मोचित किए जाने हेतु प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थीगण अरुण कुमार गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, अय्याश उर्फ इलियास तथा अशर्फीलाल के विरुद्ध वादी मुकदमा प्रहलाद गुप्ता द्वारा सोची समझी साजिश के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई है क्योंकि वादी मुकदमा के भाई रामगोपाल उर्फ सुकई को वादी ने जन्म से जड़ बुद्धि का होना बताया है लेकिन इसके संबंध में घटना से पहले का कोई भी कागजात व प्रार्थना पत्र वादी मुकदमा द्वारा दर्शित नहीं किया गया है। प्रार्थी अरुण कुमार गुप्ता द्वारा रामगोपाल की जमीन का बैनामा करा लेने के पश्चात करीब 1 सप्ताह बाद जानकारी होने पर साजिशन जड़ होने की प्रक्रिया आरंभ करके प्रार्थी गणों से अनुचित लाभ व बदनाम करने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया है। रामगोपाल की उम्र 45 वर्ष है इतने वर्षों तक वादी मुकदमा द्वारा राजस्व अभिलेखों व अन्य कागजातों में उसे मंदबुद्धि अंकित नहीं कराया गया क्योंकि वादी मुकदमा स्वयं राम गोपाल की संपत्ति को हड़पना चाहते थे लेकिन जब रामगोपाल ने अपनी संपत्ति प्रार्थी अरुण कुमार गुप्ता को बैनामा किया तब उनके मंसूबों पर पानी फिर गया जिसकी वजह से गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी गण के विरुद्ध बढ़ा चढ़ा कर फर्जी कागजातों के सहारे पर पुलिस से साज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी। विवेचक द्वारा रामगोपाल उर्फ सुकई का बयान लिया गया है जिसमें उसके द्वारा स्पष्ट रुप से यह बयान दिया गया है कि वादी मुकदमा व रामगोपाल का बरासत कुछ समय पूर्व राजस्व अभिलेखों में किया गया था किंतु बरासत के आवेदन में भी कहीं भी जड़ बुद्धि का अंकन नहीं किया गया। बैनामा के समय रामगोपाल पूर्णतया मानसिक रूप से स्वस्थ्य था और पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने के पश्चात ही बैनामा किया है इसकी पुष्टि रजिस्ट्रार जमुनहा के बयान से भी हो जाती है। मामला सिविल प्रकृति

का है फिर भी वादी मुकदमा द्वारा पुलिस से साज करके आवेदकगण के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 420 120 बी आईपीसी में प्रेषित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपने को निर्दोष होने का कथन करते हुए उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि उनके विरुद्ध धारा 420, 120 बी आईपीसी का अपराध नहीं बनता है। उन्हें इस अपराध से उन्मोचित किया जाए। अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ समर्थित है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 239 सीआरपीसी का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्तगण अरुण कुमार गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, अय्याश उर्फ इलियास तथा अशर्फीलाल आपराधिक षड्यंत्र के तहत वादी मुकदमा प्रहलाद गुप्ता के सगे भाई रामगोपाल उर्फ सुकई जो जन्म से जड़ बुद्धि का व्यक्ति है को बहला-फुसलाकर बगैर प्रतिफल दिए उसकी ग्राम जमुनहा भवनियापुर में स्थित गाटा संख्या 373 की जमीन को अरुण कुमार गुप्ता द्वारा बेईमानी पूर्वक छल से अपने नाम करा लिया गया।इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध विवेचना से प्रमाणित है। अभियुक्त गण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर धारा 420,120 बी आईपीसी के तहत आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया है। अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर उनके विरुद्ध आरोप विरचित किया जाए।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्कर पाठक तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त गण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15-09-2019 को पंजीकृत कराई गई है जब घटना दिनांक 24-07-2019 की है। इस प्रकार लगभग 2 माह से अधिक का समय वादी मुकदमा द्वारा व्यतीत करने के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई है और विलंब का कोई भी कारण दर्शित नहीं किया गया है। मामले में दोनों पक्षों के मध्य बैनामे को लेकर मुख्य विवाद जो है वह सिविल प्रकृति का है। जहां तक कूटरचना व जालसाजी किए जाने का प्रश्न है तो ऐसा कोई भी साक्ष्य विवेचक को दौरान विवेचना नहीं मिला है। विवेचक द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूर्व में ही धारा 467,468,471 भारतीय दंड संहिता का लोप कर दिया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त लेखपाल व सब रजिस्ट्रार के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य न पाते हुए उन्हें विलोपित किया गया है। उपनिबंधक चंद्रिका प्रसाद बर्मा ने बयान दिया है कि जब विक्रेता उनके समक्ष आया था तो उन्होंने उससे प्रतिफल के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि उसे संपूर्ण प्रतिफल 12 लाख रुपया पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। देखने से विक्रेता रामगोपाल उर्फ सुकई मंदबुद्धि का व्यक्ति नहीं लग रहा

था उसका सामान्य कार्य व्यवहार चाल चलन सामान्य व्यक्ति की तरह ही था। संपूर्ण विवेचना से यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि प्रश्नगत भूमि के बैनामे की एवज में क्रेता अरुण कुमार गुप्ता ने विक्रेता रामगोपाल उर्फ सुकई को 1200000 रुपए प्रतिफल के रूप दिया है इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा प्रहलाद गुप्ता की धारा 161 सीआरपीसी के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका सगा भाई रामगोपाल जन्म से मंदबुद्धि का है और मानसिक रूप से निरंतर अस्वस्थ रहा करता है किंतु उसने अपने बयान में आगे कहा है कि उसने न तो बरासत के लिए कोई प्रार्थना पत्र ही दिया था और न ही उसने अपने भाई रामगोपाल का आज तक कहीं इलाज ही कराया था। पूरी केस डायरी में तथा आरोपपत्र में अभियुक्तगण का किसी भी आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत बेईमानी पूर्वक आशय से किस प्रकार छल किया गया तथा वादी मुकदमा तथा विक्रेता को किस प्रकार सदोष हानि पहुंचाई गई है। मामला दोनों पक्षों के मध्य भूमि से संबंधित विवाद का है जो सिविल प्रकृति का है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया गया आरोप असत्य प्रतीत हो रहा है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने धारा 420,120 बी आईपीसी का अपराध नहीं किया है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि केस डायरी में जो साक्ष्य संकलित किया गया है उससे धारा 420,120 बी आईपीसी के आवश्यक तत्व गठित नहीं होते हैं।

पी विजयन बनाम केरल राज्य और अन्य निर्णय तिथि 27-01-2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह उद्धृत किया है कि "आरोप तय करने के चरण में यदि दो विचार संभव हैं और उनमें से केवल एक संदेह को जन्म देता है जैसा कि गंभीर संदेह से अलग है तब विचारण जज को आरोपी को मुक्त करने का अधिकार होगा। इस चरण पर वह यह देखने के लिए नहीं है कि मुकदमा दोष सिद्धि में समाप्त होगा या दोष मुक्ति में।"

सज्जन कुमार बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो निर्णय तिथि 20-09-2010 मैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया है कि "आरोप विरचित करने के पूर्व यदि न्यायालय के समक्ष दो दृष्टिकोण आते हैं जिनमें से केवल एक संदेह को जन्म देता है जैसा कि गंभीर संदेह से अलग है तब विचारण न्यायाधीश को अभियुक्त को आरोप मुक्त करने का अधिकार होगा।"

संजय कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य आपराधिक अपील संख्या 472 निर्णय तिथि 07-05-2021 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उद्धरित किया है कि- " डिस्चार्ज अभियुक्त को प्रदान किया गया मूल्यवान अधिकार है। अदालत को यह पता लगाने के लिए सबूतों की जांच करनी होगी कि क्या संदिग्ध पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त

आधार है।"

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण अरुण कुमार गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, अय्याश उर्फ इलियास तथा अशर्फीलाल के विरुद्ध धारा 420,120 बी आईपीसी के तहत आरोप विरचित किए जाने का आधार नहीं है। तदनुसार अभियुक्तगण धाराधारा 420,120 बी आईपीसी के आरोप से उन्मोचित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्तगण अरुण कुमार गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, अय्याश उर्फ इलियास तथा अशर्फीलाल को धारा 420,120 बी आईपीसी के आरोप से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती।